

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

परमाणु - TP 284 / नं० वि०

पृष्ठ सं०

श्री अविधु किशोर सहाय पिता-स्व० श्रीतलानन्द लाल,
श्री परंज कुमार लाल, श्री दीपक कुमार लाल
पिता- स्व० श्यामवरण लाल एवं अन्य,
पता - हीरापुर, धनबाद।

धनबाद, दिनांक 2/6/14

विषय - आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान क्रमांक न०
बी० नं० - 1259/11-12 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 31.3.12 के संबंध में।

आवासीय

3262 11 11-12, 2985
11 08-09, 177 11 11

आपके आवेदन, दलील सराया - 13, 7358, 4590, 2747 दाखिल खासित अपिलेख संख्या 11.867 11 98-9

जमानाबंदी संख्या 1738, 1639, 1684 से निर्गत लागत वसीद वर्ष 11-12 की अभिलेखांकित प्रति,
संपन्न पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशासक के आलेख में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी० नं० 1259/11-12 के नक्शे की
परीक्षण प्रकृत निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निरीक्षणकर्ता सूचित करता है कि हीरापुर-07 ग्रीष्म ऋतुगत खाता नं० 109
पानी नं० 1107 रकबा 4432 वर्ग फीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंस की
संविदा श्री पियूषका न्ति सिंह की देख रेख में कार्यालय के पूर्ण निर्धारित प्रपत्र में
संपूर्णतया कार्य की जानकारी उपलब्ध करावेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर शिथिलता के रहस निर्माण पूरा होने की लिखित
जानकारी उपलब्ध करावेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के तब तक किसे भी शिथिलता निर्माण को नियंत्रित नहीं किया जा
सकता। शिथिलता से जोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण स्वयं समय पर करना
सुनिश्चित करें।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये वाली से हटाकर अन्य वाली का निर्माण नहीं करेंगे।

सादा भवन निर्माण के तब तक में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत
जमाना, स्वयं, अधिकार एवं दस्तावेज का प्रमाण नहीं है।

विशेष प्रयोजन की लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यापार करी प्रयोजन के
लिये किया जा सकेगा।

जहां संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश
वाला साफकार, नेचुरल विलिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वयं प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा संपन्न के भवन में 25% कुल रकम 42,600 जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक
द्वारा साफकार भवनयुक्त प्रस्ताव के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

31/5/14

नगर निदेशक / तकनीकी सदस्य

31/5/14 धनबाद। 31/5/14